

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
प्रमंडल, किशनगंज।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 02/2020-21, दिनांक :- 08.04.2020

(केवल ई-टेंडर पद्धति के अनुसार www.eproc.bihar.gov.in)

1. कार्य का विवरण :-

गुप सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	अग्रघन की राशि (लाख रु० में)	परिमाण-विपत्र का मूल्य (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतये) (रु० में)	बेल्ड्रॉन को देय "बिड प्रोसेसिंग फी" (अप्रत्यर्पणीय) (केवल ऑन लाईन मोड में भुगतये) रु० में	कार्य समाप्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	
01	किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाघामन प्रखंड में महानन्दा नदी के दाएँ तट पर अवस्थित बगलबाड़ी एवं बैरबन्ना गाँव का कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा संख्या 154/255/2020)	66.59	1.332	10000.00	1180.00	15-05-20	
02	किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाघामन प्रखंड में कनकई नदी के दाएँ तट पर अवस्थित मचकुरी (पश्चिम) तथा महानन्दा नदी के बाएँ तट पर अवस्थित मरलाबाड़ी एवं बलियाडांगा गाँव का कटाव निरोधक कार्य। (एजेण्डा संख्या 154/258/2020 एवं 154/259/2020)	186.16	3.724	10000.00	5900.00	15-05-20	
03	किशनगंज जिला अन्तर्गत ठाकुरगंज प्रखंड में बूड़ी कनकई नदी के बाँये तट पर अवस्थित ग्राम पौवाखाली बाजार (फुलबारी), सिमलबाड़ी, केलाबाड़ी एवं गोगरिया कॉलोनी तथा मेघी नदी के बाँये एवं दाँये तट पर ग्राम बक्सरभीट्टा व माखनपुर के निकट कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा संख्या 154/247/2020 एवं 154/250/2020)	155.01	3.101	10000.00	5900.00	15-05-20	

2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता

: कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, प्रमंडल किशनगंज।

3. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि

: दिनांक 08.04.2020

4. निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि

: दिनांक 22.04.2020 से 25.04.2020 को 3:00 बजे अपराह्न तक।

केवल वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर।

2020

5. प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक 24.04.2020 को 3:00 बजे अपराह्न में (मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग कटिहार कैम्प पूर्णियाँ)
6. निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 27.04.2020 के अपराह्न 3:00 बजे तक। केवल वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
7. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 29.04.2020 के अपराह्न 3:30 बजे। केवल वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
8. वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर घोषित की जायेगी।
9. निविदा खोलने का स्थान : केवल वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर।
10. निविदा वैधता की अवधि : 90 दिन।
11. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in & www.wrdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।
12. कोई भी संवेदक, जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर/राष्ट्रीय स्तर के हों, निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
13. ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदको को पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकित हस्ताक्षर (Digital Signature) प्राप्त होगा। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
14. ई-निविदा मात्र वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
- 15 (क) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जाएगा) का भुगतान online mode (e-Payment mode) यानी Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card) Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है। Bid Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card) Net Banking, NEFT/RTGS.
- (ख) e-Tendering/e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि Online mode (e-Payment mode) अथवा Physical Mode/Manual Payment System में स्वीकार्य होगा। Physical mode/Manual Payment System के तहत अग्रधन की राशि अनुसूचित बैंक फिक्साड डिपोजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो/अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट/डाकघर बचत पासबुक, एक/दो/तीन वर्षीय सावधि जमा/राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र/पांच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाण्ड/राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र अथवा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता/वित्त नियमावली में प्रावधानित किसी भी रूप में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त कर अथवा एक करोड़ से अधिक के कार्य के लिये बिना शर्त वाली बैंक गारन्टी (as per the format in SBD) जो बिड के मान्य अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा), इसकी मूल प्रति कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, किशनगंज / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पूर्णिया / मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, कटिहार कैम्प पूर्णियाँ के कार्यालय में दिनांक 27.04.2020 को 3:00 बजे अपराह्न तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
- (ग) "Bids along with necessary online payment must be submitted through e-Procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender / Non reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."
- (घ) "BSEDC Processing Fee and Tender Fee/BOQ Fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid either through online / offline mode."
16. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाइट से प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को मर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि (Physical mode/Manual Payment System के लिये)/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिये आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
17. किसी भी प्रकार का शुद्धि-पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द / विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक सं०/पृष्ठ सं० के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख PDF, MS. Office

- Documents के Download/Open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
19. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गए कागजातों की Download ability/visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
 20. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदको को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाईयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
 21. संवेदक के विपत्र से 1 प्रतिशत सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी। एवं GST की कटौती विभागीय निदेशानुसार कि जायेगी।
 22. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी से कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/ सूचना हेतु ई-टेंडरिंग सेल, कम्प्युटर सेल, द्वितीय तल, सिंचाई भवन पटना (0612-2235241) एवं e-Procurement Helpdesk First Floor, M/22 Bank of India Building, Road No-25, Sri Krishna Nagar, Patna-800001 Phone 0612-2523006, Mob 7542028164 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
 23. निविदित दर के serious unbalanced rate होने की स्थिति में Additional Performance Guarantee, अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक 3376 दिनांक 17.08.2010 के अनुसार जमा करना होगा।
 24. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोतरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।
 25. Additional Performance Guarantee हेतु प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग बिहार पटना का पत्रांक - 448(S), दिनांक- 16.01.2020 के अनुरूप मान्य होगा।
 26. सशर्त निविदा अमान्य होगी।
 27. जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों / पत्रों में निहित प्रावधानों के आलोक में निविदा निस्तार किया जायेगा।
 28. संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
 29. तकनीकी बीड में कई सफल निविदादाताओं का सामान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
 30. जल संसाधन विभाग का पत्रांक 536 दिनांक 13.06.2013 के परिशिष्ट-3, पत्रांक 686 दिनांक 19.08.14, पत्रांक 200 दिनांक 14.03.2016 एवं विभागीय पत्रांक 638 दिनांक 19.07.18 का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसमें प्रावधानित शपथ-पत्र निविदा के साथ जमा करना आवश्यक होगा।
 31. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 6158 दिनांक 09.07.14 के कंडिका 5.2 में clarification & Modification के क्रम में सिर्फ उन्हीं कागजातों/ अभिलेख की मान्यता दी जाती है, जो निविदा प्राप्ति के पूर्व में होंगे एवं निविदा के साथ अपलोड होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जो अभिलेख अपलोडेड है, उन्हीं के आधार पर निविदा निस्तार किया जाना है, यदि अपलोडेड कागजात अस्पष्ट एवं अपठनीय है तो clarification & Modification प्राप्त कर निर्णय लिया जाय, परन्तु यदि किसी निविदादाता ITB- Appendix to ITB Section-2 Qualification Information में दिये गये निदेश एवं विहित प्रापत्र में बांछित सूचनाएँ तत्संबंधी अभिलेख संलग्न नहीं किये जाते हैं तो उनके संबंध में clarification & Modification की आवश्यकता नहीं होगी एवं उपलब्ध कागजातों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
 32. जल संसाधन विभाग का पत्रांक 528 दिनांक 13.06.2013 का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसमें प्रावधानित शपथ-पत्र निविदा के साथ जमा करना आवश्यक होगा। निविदादाता के प्री क्वालीफिकेशन बीड के साथ निम्नलिखित स्वअभिप्राणित दस्तावेज देना अनिवार्य है-
 - (क) निविदादाता का समुचित श्रेणी में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र।
 - (ख) निर्गत परिमाण विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि, बिहार सरकार, वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में।
 - (ग) निम्न आशय का शपथ-पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा जो इस प्रकार है- "I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake/forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing".
 - (घ) संवेदक को यह शपथ-पत्र दायर करना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा बाढ़ पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के कार्यस्थल पर यदी बाढ़ अवधि में कटाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो कटाव को नियंत्रित करने/स्थल के सुरक्षार्थ बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करने की जिम्मेवारी उनकी होगी।
 - (ङ) संवेदक को यह शपथ-पत्र दायर करना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों हेतु संबंधित मुख्य अभियंता /अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार विभिन्न स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों यथा बालू, ई0 सी0 बैग, जियो बैग, मेगा जियो बैग इत्यादि में बालू भरने तथा इसके भंडारण किये जाने की जिम्मेवारी उक्त कटाव निरोधक कार्य के Reach में उनकी होगी।

33. समय - समय पर विभाग द्वारा निर्गत आदेश / निर्देश इस निविदा में मान्य होगा ।
34. संवेदक को अपना दूरभाष संख्या तथा मोबाईल नं० यथासंभव अंकित करना चाहिए ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार कि सूचना ससमय दी जा सके।

50/

कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
प्रमंडल, किशनगंज।
फोन-06456-223407

पत्रांक 273 / किशनगंज

दिनांक :- 08.04.2020

प्रतिलिपि - जन सम्पर्क पदाधिकारी जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

50/16
08/04/2020

कार्यपालक अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
प्रमंडल, किशनगंज।
फोन-06456-223407

8/4/20